रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 27] नई दिल्ली, जुलाई 17—जुलाई 23, 2016, शनिवार/आषाढ़ 26—श्रावण 1, 1938

No. 27] NEW DELHI, JULY 17—JULY 23, 2016, SATURDAY/ASADHA 26—SRAVANA 1, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2016

सा.का.नि.130.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (स्टाफ कार चालक और सवार हरकारा) भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय जहां तक उनका संबंध स्टाफ कार चालक विशेष ग्रेड के पद से है अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

(राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण)

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2016

सा.का.नि.133.-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (समूह 'ख') पद भर्ती नियम, 2016 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** - पद की संख्या उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के सतंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ तकनीकी सहायक	5 *(2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है *प्रत्येक में एक पद (1) पशुपालन और मत्स्य पालन	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रू0 +ग्रेड वेतन 4200 रू0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

	(2) कृषि /बागवानी जल प्रबंधन (3) जल प्रबंधन (4) वानिकी (5) जल विभाजन विभाग या सामाजिक विज्ञान या अर्थशास्त्र					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्तिथियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जायेगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या अर्ध सरकारी या कानूनी निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या परिषद के अधिकारियों में से- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड –1, 5,200-20200 रू0 + ग्रेड वेतन 2800 रू0 या समतुल्य सदश में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो या (iii) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5,200-20200 रू0 + ग्रेड वेतन 2400 रू0 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् और उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो; अर्थात् :- **आवश्यक :-** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से कृषि विज्ञान या बागवानी या कृषि इंजीनियरी या सिविल इंजीनियरी पशु चिकित्सा विज्ञान या जीवजन्तु विज्ञान या दुग्ध उघोग या मत्स्यपालन या मृदा और जल संरक्षण या जल संसाधन या जल-विज्ञान या वानिकी या वन्य जीवन विज्ञान या समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र में स्नातक। (ii) ज्येष्ठ तकनीकी सहायक के पद से सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।

वांछनीय :- (i) पद से सम्बन्धित विषय या विद्या विशेष में स्नातकोत्तर डिग्री । **टिप्पण 1:-** सही अर्हता और विद्या विशेष का उपदर्शन प्रत्येक चयन के समय किया जाएगा । **टिप्पण 2** :-प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3** :-प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी,2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।		

[फा.सं. 1-30/2015-रा.व.सि.क्षे. प्रा.]

के. जे. सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

(NATIONAL RAINFED AREA AUTHORITY)

New Delhi, the 18th July, 2016

G.S.R. 133.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Technical Assistant in the National Rainfed Area Authority, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture , Co-operation and Farmers Welfare namely :-

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the National Rainfed Area Authority, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture , Co-operation and Farmers Welfare, Senior Technical Assistant, (Group ‘B’ post), Recruitment Rules, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.-** The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc., -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the above said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and Grade pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Technical Assistant	5* *(2016) Subject to Variation Dependent on Workload. *one post each in (I) Animal Husbandry and Fisheries, (II) Agriculture/Horticulture, (III) Water Management, (IV)Forestry, (V)Watershed Development or Social Science or Economics	General Central Service, Group B, Non Gazetted Non-Ministerial	PB-2 Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4200	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and essential qualification, prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment. whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ Absorption to be made	If a departmental promotion committee exists what is its composi-tion	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By deputation (including short term contract)	**Deputation (including short-term contract) :** Officers under the Central or State Government or Union territory Service or Semi Government or Statutory Bodies or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies or Recognised Research Institutions or Council. (a) (i) holding analogous posts in the	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission while appointing an officer on deputation (including

			parent cadre or department on regular basis, **or** (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of 5200-20200 plus grade pay of 2800 in the pay band-1 or equivalent in the parent cadre or department; **or** (iii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of 5200-20200 plus grade pay of 2400 in the pay band-1 or equivalent in the parent cadre or department; **and** (b)(i) possessing the following educational qualification and experience, namely:- **Essential:** Graduate in Agriculture Science or Horticulture or Agriculture Engineering or Civil Engineering Veterinary Science or Animal Science or Diary or Fisheries or Soil and Water Conservation or Water Resources or Hydrology or Forestry or Wild Life Science or Sociology or Economics from a recognised university; (ii) Two years experience in relevant field of post of senior technical assistant **Desirable:** (i) Post graduate degree in concerned subject or discipline of the post. **Note 1:** The exact qualification and discipline shall be indicated at the time of each selection. (Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). **Note 2:** For the purpose of appointment on deputation basis. The service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to		short-term contract)

			be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale. And where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.		

[F. No. 1-30/2015-NRAA]

K. J. SINGH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.